

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य विभिन्न विषय में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता विभिन्न विषय को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	जितेन्द्र कुमार यादव राउमावि.गादोज (बहरोड़) अलवर	भूगोल	07.07.85	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ1 (23-04)RPSC/Appt/HRD/2017/4616 दिनांक 01.10.18
2	बलवन्त राय राउमावि. 6 जे.के.एम. रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर	समाजशास्त्र	07.01.79	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ1 (23-17)RPSC/Appt/HRD/2017/4604 दिनांक 26.09.18

विभाग छोड़ने के बाद जिन प्राध्यापकों का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ उनका वर्तमान धारित पद पर लियन नहीं रहेगा, साथ ही संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति पश्चात् ही कार्यमुक्त की कार्यवाही अमल में लावें एवं विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।



(नथमल डिडेल)


आई०ए०एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 12/10/2018

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/कार्यमुक्ति/18-19
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. रजिस्ट्रार राजस्थान विवि, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं वरिष्ठ शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर
4. उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. संयुक्त निदेशक प्रशासन, कार्यालय हाजा को वरिष्ठता अनुभाग में रिकॉर्ड अपडेशन हेतु
6. संबंधित मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
7. संबंधित जिशिअ (मा)
8. संबंधित संस्था प्रधान
9. संबंधित कार्मिक
10. रक्षित पत्रावली
11. कम्प्यूटर अनुभाग


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर